12(A)

मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत

संख्या– [illegible]/III(2)/12–04(मु0मं0घो0)/2012

3698/111(2)/12-04 (मु0मं0घो0)/2012

प्रेषक,

अनिल सिंह नेगी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2

देहरादून: दिनांक 18 अक्टूबर, 2012

विषय– मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग में विभिन्न 19 कार्यों की प्र[illegible] चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता ग0 लोक निर्माण विभाग पौड़ी द्वारा मा0 मुख्यमंत्री घोषणान्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग में संलग्न विवरणानुसार उपल कराये गये प्रथम चरण के 19 प्रारम्भिक आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 114.38 किमी0 तथा प्रथम चरण लागत ₹ 1163.12 लाख है, पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि ₹ 1163.12 ल[illegible] (₹ ग्यारह करोड़ तिरेसठ लाख बारह हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए [illegible] वित्तीय वर्ष 2012–13 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात 19 कार्यों हेतु कुल ₹ 1.90 लाख ([illegible] लाख नब्बे हजार मात्र) की धनराशि, महामहिम श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन [illegible] स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i)– उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण [illegible] जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0–1764/III(2)/10–17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी [illegible] परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित की जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कद[illegible] न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि से बचत हो रही है तो उसका समा[illegible] विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक नि[illegible] विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनि[illegible] करें।

(v)– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय एवं मद दूसरे मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)– स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स–2008 एवं उक्त [illegible] समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त [illegible] मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0– 2047/XIV–213(2005) दिनांक [illegible] द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय [illegible] कड़ाई से अनुपालन [illegible] जायेगा।

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
Prov. Division PWD
Rudraprayag

12(B)

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0-22-लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें- आयोजनागत-800-अन्य व्यय-05-सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण -00-24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

(ix)- स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x)- उक्त कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि ₹ 1.90 लाख का बजट आबंटन, वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22, के अन्तर्गत अलॉटमेन्ट आई0डी0 सं0:-S1210220135 दिनांक 18-10-2012 के द्वारा आपको आबंटित कोड सं0- 4227 Chief Engineer PWD में कर दिया गया है।

(xi)- वित्तीय वर्ष 2012-13 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2013 तक सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22-लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें -आयोजनागत -800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(3) **यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 646/XXVII/(2)/2012 दिनांक 16 अक्टूबर, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।**

भवदीय,

(अनिल सिंह नेगी)
अपर सचिव

संख्या- (1)/III(2)/12-04(मु0नं0घो0)/2012 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिलाधिकारी जनपद रूद्रप्रयाग।
4. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद देहरादून/रूद्रप्रयाग।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ/राज्य योजना आयोग उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, सप्तम् वृत्त, लो0नि0वि0, गोपेश्वर।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महिमा)
अनु सचिव

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
Prov. Division PWD
Rudraprayag

शासनादेश संख्या– 3498 (1)/ 111(2) / 12–04(मु0मं0घो0) / 2012 दिनांक 18 अक्टूबर, 2012 का संलग्नक

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	घोषणा संख्या	लम्बाई किमी0 में	टी0ए0सी0 वित्त द्वारा अनुमोदित लागत	वर्तमान में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली में मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत रतनगढ़ से [illegible] तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	132/2012	10.00	126.00	0.10
2	जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली में मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत भटवाड़ी से [illegible] तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	133/2012	6.00	75.60	0.10
3	जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली में मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत सूर्यप्रयाग–जैली–[illegible]–तैला मोटर मार्ग का नव निर्माण।	134/2012	5.00	63.00	0.10
4	जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखौली में मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत मरड़ीगाड श्रीकोट से [illegible] तक मोटर मार्ग नव निर्माण।	135/2012	4.00	50.40	0.10
5	जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली में मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत रतनपुर बैण्ड से [illegible]–घेंघड़खाल तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	136/2012	5.00	63.00	0.10
6	जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखौली में मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत सौंदा से [illegible] तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	137/2012	5.00	63.00	0.10
7	जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली में मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत सौराखाल से [illegible]– [illegible]–कोटली होते हुए मल्यासू तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	138/2012	10.00	126.00	0.10
8	जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखौली में मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत ममणी–उरोली मोटर मार्ग का नव निर्माण।	139/2012	5.00	63.00	0.10
9	जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली में मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जैली से पाली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	141/2012	5.00	63.00	0.10
10	जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में [illegible]–जखोली हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन व डामरीकरण कार्य।	142/2012	15.38	37.36	0.10
11	जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्तमुनि में मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत दिवली– गडबू –[illegible] तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	144/2012	7.00	88.20	[illegible]

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
Prov. Division PWD
Rudraprayag